



Registrar, Firms and Societies Government of Madhya Pradesh

प्ररूप-1क (नियम 3 देखिए) (सोसायटी की उप-विधियां)	
आवेदन क्रमांक : S3160708654527052023	
अनुमोदन दिनांक : 11 Jul 2023	
1.	सोसायटी का नाम S.V.B.P. Government College Alumni Association Kukshi होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक Sardar Vallabh Bhai Patel Govt College Kukshi Dist. Dhar 454331 454331 तहसील कुक्षी जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 9098025345 एवं ईमेल आईडी govtcolleggekukshi@gmail.com
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र Kukshi dist dhar होगा।
4.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	(OTHER) संस्थान की ख्याती में अभिवृद्धि करने हेतु ऐसे समस्त प्रयास जैसे इस संस्थान की सामान्य सभा/कार्यकारीणी द्वारा निश्चित किया जावे इस संस्थान के सौन्दर्यीकरण, पर्यावरण एवं स्वच्छता बनाये रखना। इस संस्थान के उददेश्यों को प्राप्त करने हेतु अधोसंरचना विकास में सहभागी बनाना। देश-विदेश में रोजगाररत छात्रों को एक मंच पर एकत्रित कर ऐसे छात्रों को पुरस्कृत/सम्मानित करना जो रोजगार के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। संस्थान के संरचनात्मक विकास हेतु आवश्यक निधि का सृजन करना। अध्ययनरत छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, पुरस्कार आदि की व्यवस्था करना। अध्ययनरत छात्रों के व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास, कैरियर काउंसलिंग एवं कैंपस रिक्रूटमेंट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
5.	सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-
	(क) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ख) आजीवन सदस्य वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।
	(ग) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।
	(घ) मानद सदस्य- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।
6.	सदस्यता की करना- प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।
7.	सदस्यता के लिए अर्हता- सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य है:- 1. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 2. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 3. उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो। 4.सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
8.	सदस्यता की समाप्ति- सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर।



Registrar, Firms and Societies Government of Madhya Pradesh

10.	<p>(क) साधारण सम्मिलन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।</p> <p>(ख) प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।</p>
11.	<p>साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-</p> <p>एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना। दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना। तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना। चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए। पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना। छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।</p>
12.	<p>प्रबंधकारिणी समिति का गठन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :- (1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोषाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 2</p>
13.	<p>प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल: प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।</p>
14.	<p>प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-</p> <p>(क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है। (ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना। (ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना। (घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना। (ङ.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं। (च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी। (छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।</p>
15.	<p>अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णयाक मत देने का अधिकार होगा।</p>



Registrar, Firms and Societies Government of Madhya Pradesh

	<p>(ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए।</p> <p>(घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा।</p>	
18.	संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।	
19.	कोषाध्यक्ष के अधिकार- सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।	
20.	बैंक खाता- सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।	
21.	रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।	
22.	विघटन- सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।	
23.	सम्पत्ति- समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।	
हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।		
हस्ताक्षर []	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष / सदस्य	सचिव / सदस्य	कोषाध्यक्ष / सदस्य


 Check The Document

Close

Continue To E-Sign

 Powered by : **MPonline Limited**
 मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

Last Updated Date : 7/23/2023


 वेबसाइट को सही तरह से देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 +, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स और गूगल क्रोम का उपयोग करें (पिक्सल 1024x768) | [Site Map](#)



रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्य प्रदेश शासन



सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक 03/28/07/25205/23

यह प्रमाणित किया जाता है कि S.V.B.P. Government College Alumni Association Kukshi, सोसायटी जो Sardar Vallabh Bhai Patel Govt College Kukshi Dist. Dhar 454331 तहसील कुक्षी जिला धार में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा के अधीन तारीख 03 अगस्त 2023 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

दिनांक 03 अगस्त 2023

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

Signature Not Verified
Signed by: Assistant Registrar
on 03-08-2023 16:04:50



Registrar, Firms and Societies

Government of Madhya Pradesh

HIMANSHU BHALSE | होम | लॉगआउट

प्रारूप-1							
(नियम 3 देखिए)							
रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन							
आवेदन क्रमांक : S3160708654527052023				अनुमोदन दिनांक : 11 Jul 2023			
1.	सोसायटी का नाम S.V.B.P. Government College Alumni Association Kukshi होगा।						
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक Sardar Vallabh Bhai Patel Govt College Kukshi Dist. Dhar 454331 454331 तहसील Kukshi जिला Dhar मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9098025345 ईमेल आईडी govtcollegekukshi@gmail.com						
3.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-						
1.	(OTHER) संस्थान की ख्याती में अभिवृद्धि करने हेतु ऐसे समस्त प्रयास जैसे इस संस्थान की सामान्य सभा/कार्यकारीणी द्वारा निश्चित किया जावे इस संस्थान के सौन्दर्यीकरण, पर्यावरण एवं स्वच्छता बनाये रखना। इस संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अधोसंरचना विकास में सहभागी बनाना। देश-विदेश में रोजगाररत छात्रों को एक मंच पर एकत्रित कर ऐसे छात्रों को पुरस्कृत/सम्मानित करना जो रोजगार के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। संस्थान के संरचनात्मक विकास हेतु आवश्यक निधि का सृजन करना। अध्ययनरत छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, पुरस्कार आदि की व्यवस्था करना। अध्ययनरत छात्रों के व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास, कैरियर काउंसलिंग एवं कैंपस रिक्रूटमेंट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना हैं।						
4.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साक्षी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-						
अनुक्रमांक (1)	पिता/ पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/ आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	तदर्थ शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम (7)	हस्ताक्षर (8)
1	Richa Jain / Surendra Jain	08, Mahatma Gandhi marg, Ward No.11, Kukshi, 45433, Kukshi, Dhar,	11/01/1992	9406669777	Self Employment	अध्यक्ष	[]

KAVERI



Registrar, Firms and Societies
Government of Madhya Pradesh

	/ Jaswanil Ajit	Kukshi, Dhar, Madhya Pradesh					
3	Kalpana Pawa / Shankar pawar	10, Maharana Pratap Marg, Sirvi mohalla, Ward No.07, Kukshi, Dhar, Madhya Pradesh	20/04/1989	7869850473	Self Employment	सचिव	[]
4	Devendra Patidar / Rameshchandra Patidar	149, Dhar Chikhalda Marg, Ward No.01, Opposite Stat, Kukshi, Dhar, Madhya Pradesh	08/02/1986	9981201645	Self Employment	कोषाध्यक्ष	[]
5	Arvind Muzalda / Galsingh Muzalda	01, Jhamriyapura, Loni,454331, Kukshi, Dhar, Madhya Pradesh	20/03/1990	8319636906	Govt. Service	संयुक्त सचिव	[]
6	Omprakash Patidar / Damodar Patidar	23, Patel Marg, Patidar Mohalla, Ward No. 4, Kuksh, Kukshi, Dhar, Madhya Pradesh	12/04/1986	9893262206	Farmer	सदस्य	[]
7	Hariom Dhangar / Vinod Dhangar	72, Houhse No. 72, Village Lohara, Dhar, 454331, Kukshi, Dhar, Madhya Pradesh	21/03/1998	9630639542	Self Employment	सदस्य	[]



Registrar, Firms and Societies Government of Madhya Pradesh

सोसायटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

चालान क्रमांक SBIN0006159147501062023738291

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number

पहचान पत्र का क्रमांक BMFPJ5139P

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card

पते का क्रमांक IRB1889690

[Uploaded ID Proof](#)

[Uploaded Address Proof](#)

[]

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-.....

साक्षी का नाम :- Himanshu Bhalse

साक्षी का पिता/पति:- Gajanand Bhalse

पूर्ण पता :- 65, Ashirwad Nagar Dhamnod Th-
Dharampuri, Dist. Dhar 454552

साक्षी का मोबाइल नंबर :- 9098025345

साक्षी का ईमेल आईडी :- b.himanshu.04@gmail.com

हम सत्यापित करते हैं।

सोसायटी के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु

1 ज्ञापन पत्र में निर्धारित स्थान पर समस्त निर्माणकर्ताओं एवं साक्षी के हस्ताक्षर/E-Sign यथा स्थान होना चाहिये।

[Go to Niyamawali Applicable only for BASE NIYAMAWALI](#)